

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2023/PM 3/1 (e-3446057)

New Delhi, dated 26.07.2024

**The General Manager (P),**  
All Zonal Railways and PUs etc,  
( As per standard list).

**Sub: Relaxation in the medical standard to the post of Commercial-cum-Ticket Clerk in Level-3 in Commercial Department-clarification.**

**Ref: Board's letter No. E(NG)II/2018/RR-1/40 Pt. dated 28.02.2019**

Attention is drawn to Board's letter under reference wherein, inter alia, it was stipulated that the medical classification of the unified category of Commercial and Ticketing staff category would be Bee Two (B-2). However, such revision of medical classification does not affect/impact existing employees of the Commercial Department.

2. One of the Zonal Railways and recognised Federation (i.e. NFIR) have sought clarification as to whether the employees of the Commercial Department, who qualify in the written test for the post of CC/TC in Level-3 against 33-1/3% quota are eligible for empanelment when they are declared unfit in 'Bee-Two' but fit in 'Cee-One' in terms of instruction contained in para 3 of the Board's letter dated 28.02.2019 ibid.

3. The matter has been examined in Board's office in consultation with Commercial dte and Health Directorate. It is clarified that for selection to the combined cadre of CC/TC, the medical classification of the combined cadre (B-Two) shall apply, subject to the provision that existing Commercial staff should undergo re-medical before being called for the examination for the new medical category of CC cum TC.

4. This disposes of the letter of S.C. Railway no. SCR/PQ/205/EC/AVC dated 23.08.2023.

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

*Sanjay*  
*26/7/24*  
(Sanjay Kumar)  
Deputy Director Estt.(N)  
Railway Board  
Tele No. 23303658







भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2023/पीएम 3/1 (ई-3446057)

नई दिल्ली, दिनांक 26.07.2024

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: वाणिज्य विभाग में लेवल-3 में वाणिज्यिक-सह-टिकट लिपिक के पद पर चिकित्सा मानक  
में छूट- स्पष्टीकरण

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28.02.2019 का पत्र संख्या ई(एनजी)II/2018/आरआर-1/40 पार्ट


आपका ध्यान बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित था कि वाणिज्यिक और टिकटिंग कर्मचारी कोटि की एकीकृत कोटि का चिकित्सा वर्गीकरण बी टू (बी-2) होगा। बहरहाल, चिकित्सा कोटि के वर्गीकरण में संशोधन होने से वाणिज्य विभाग के मौजूदा कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. किसी एक क्षेत्रीय रेलवे और मान्यताप्राप्त फेडरेशन (अर्थात् एनएफआईआर) ने स्पष्टीकरण मांगा है कि वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी, जो 33-1/3% कोटा के तहत लेवल-3 में वाणिज्यिक लिपिक/टिकट लिपिक के पद हेतु लिखित परीक्षा पास करते हैं, परन्तु 'बी-टू' में अनफिट घोषित किया जाता है, जबकि बोर्ड के पूर्वोक्त पत्र दिनांक 28.02.2019 के पैरा 3 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के संदर्भ में 'सी-वन' में फिट हैं, तो क्या उन्हें पैनलबद्ध किया जा सकता है।

3. बोर्ड कार्यालय में वाणिज्य निदेशालय और स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वाणिज्यिक लिपिक/टिकट लिपिक के संयुक्त संवर्ग में चयन के लिए संयुक्त संवर्ग का चिकित्सा वर्गीकरण (बी-टू) लागू होगा, जो इस प्रावधान के अध्यक्षीन है कि मौजूदा वाणिज्यिक कर्मचारी को वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट लिपिक की नई चिकित्सा कोटि के लिए परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने से पहले चिकित्सा जांच करानी होगी।

4. इससे दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 23.08.2023 के पत्र सं.एससीआर/पीक्यू/205/ईसी/एवीसी का निपटान हो जाता है।

कृपया पावती दें।

  
(संजय कुमार)

उपनिदेशक स्था. (अराजपत्रित)  
रेलवे बोर्ड  
दूरभाष संख्या 011-23303658



सं. ई(एनजी)I-2023/पीएम 3/1 (ई-3446057)

नई दिल्ली, दिनांक 26.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्तआयुक्त, लखनऊ
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड